# कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि / कृषि भूमि / 2025 / 1319 दिनांकः– 21/08/25

मैसर्स हैप्पी रियल अर्थ एलएलपी
पंजीकृत कार्यालय 40 श्रीजी एनक्लेव
जयरामपुरा रोड नीन्दड जयपुर

विषय :– राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 730 / 224 में प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवानें बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 730 / 224 में आवासीय टाउनशिप योजना के भू रूपन्तारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना के मानचित्र का स्थानीय ले – आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.08.2025 के द्वारा सर्व सम्मति से ले – आउट अनुमोदित किया गया है।

अतः प्रकरण में राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप योजना का नियमानुसार रेरा रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। जिससें आपके आवेदन का शीघ्र निस्तारण किया जा सकें।

सूचित रहे।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

Signature valid
Digitally signed by Sita Verma
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.20 19:09:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17290616

# PROPOSED LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY

# HAPPY AEROCITY-I

KHASRA NO 730/224 =19499.25 SQ MTR.

AT VILLAGE :- FARASIYA, TEH.- KISHANGARH , DIST. AJMER

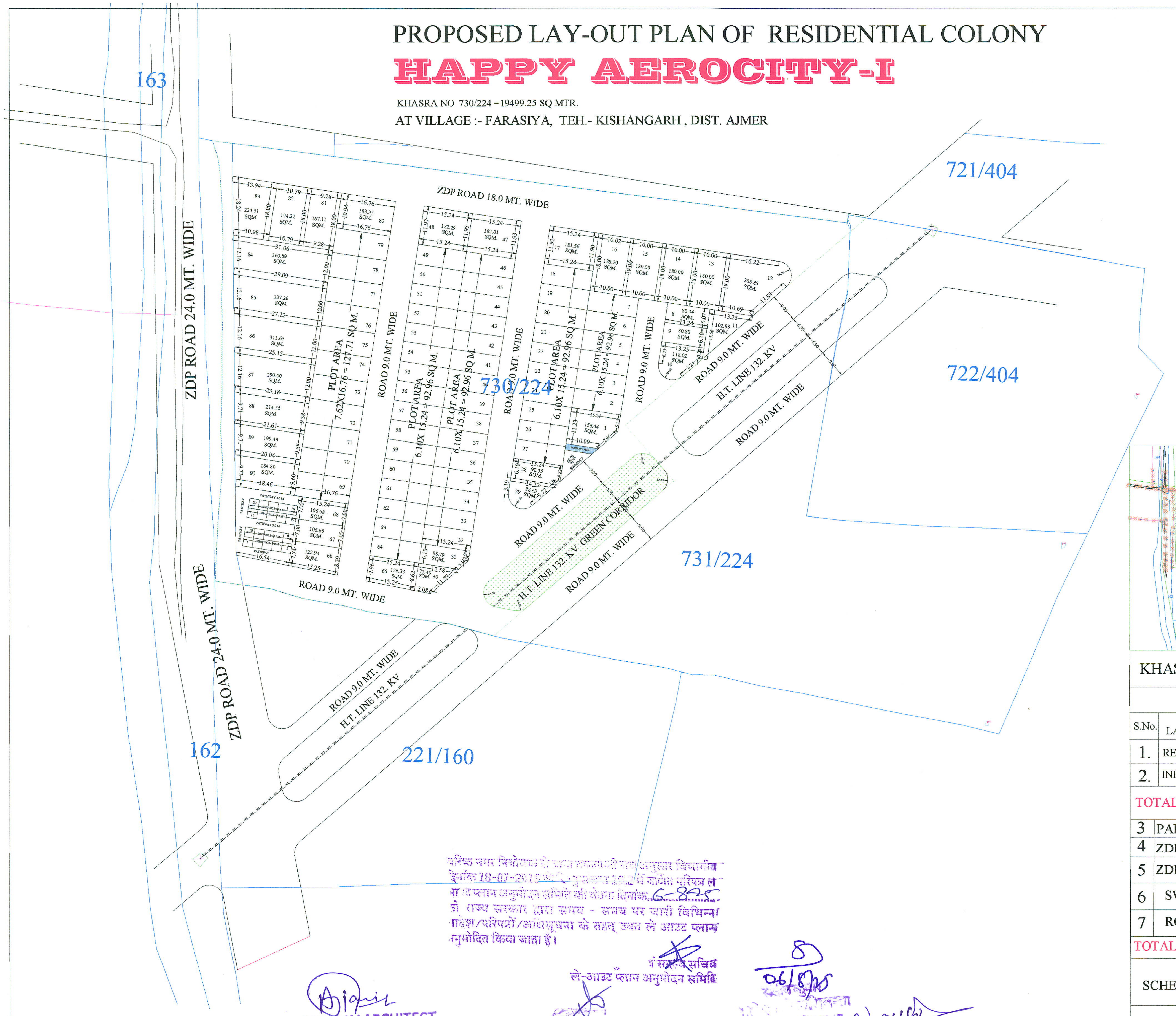


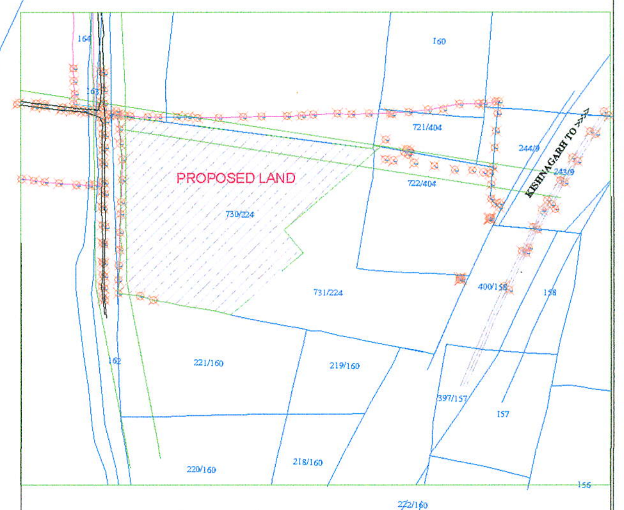


KHASRA PLAN

AREA ANALYSIS :-

| S.No. | LAND USED | AREA IN (SQ.MTR.) | (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | RESIDENTIAL | 11366.91 | 58.29 % |
| 2. | INFORMAL | 389.99 | 02.00 % |
| TOTAL = 1+2 | | 11756.06 | 60.28 % |
| 3 | PARK/ H.T. LINE | 902.51 | 04.63 % |
| 4 | ZDP 24M. ROAD | 553.80 | 02.84 % |
| 5 | ZDP 18M. ROAD | 2428.97 | 12.46 % |
| 6 | SWM/M.T | 60.00 | 00.3 % |
| 7 | ROAD | 3797.91 | 19.49 % |
| TOTAL = 3 TO 7 | | 7743.19 | 39.71 % |
| SCHEME AREA | | 19499.25 | 100.00 % |
| | | 1.94 HECT. | |

Proposed Lay-Out Plan of Residential Colony

HAPPY AEROCITY-I

KHASRA NO 730/224 =19499.25 SQ MTR.

AT VILLAGE :- FARASIYA, TEH.- KISHANGARH , DIST. AJMER

योजना का नाम :–हैप्पी एरोसिटी – ।

| NORTH :- | SCALE :- | APPLICANT :- |
|---|---|---|
| N W E S | 1"=50' | |

वरिष्ठ नगर नियोजक ... अनुसार ...
दिनांक 18-07-2018 ... में वर्णित परिपत्र ...
... प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 6-8-25
को राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी विभिन्न
आदेश/परिपत्रों/अधिसूचना के तहत् उक्त ले आउट प्लान
अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य सचिव
ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति

आयुक्त
नगरपरिषद् किशनगढ़

सभापति महोदय
नगरपरिषद् किशनगढ़

NAKODA BHAIRAV ARCHITECT
ER. ARIHANT JAIN
CIVIL ENGINEER
MAJHELA ROAD KISHANGARH
77377135050,7014565737

For HAPPY REALEARTH LLP
Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY HARISH DAYMA AJMER (RAJ.) R.No. 11993 Valid upto 15-11-2026 GOVT. OF INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

**समर्पण पत्र**

AE 181745

श्रीमान आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़
अजमेर।

NOTARY HARISH DAYMA AJMER (RAJ.) R.No. 11993 Valid upto 15-11-2026 GOVT. OF INDIA

विषयः आपके कार्यालय में ले-आउट प्लान "Happy Aerocity-1st के बाबत आन्तरिक विकास कार्य हेतु आरक्षित 12.5 प्रतिशत भूखण्डो की लिस्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न प्रकार निवेदन है कि ले-आऊट प्लान में कुल सेलेबल क्षेत्रफल 11756.06 वर्गमीटर है जिसका 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 1469.51 वर्गमीटर होता है जिसमे नीचे दी गई सारणी मे उल्लेखित भूखण्डो को आरक्षित रख दिया गया है जिसकी सारणी इस प्रकार है

| भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) |
|---|---|
| 10 | 118.02 |
| 85 | 337.26 |
| 86 | 313.63 |
| 87 | 290 |
| 88 | 214.55 |
| 89 | 199.49 |
| कुल :- | **1472.95** |

Received
14/8/25
कमल शर्मा
कर निर्धारक
नगर परिषद किशनगढ़

ATTESTED
14/8/25
NOTARY PUBLIC, AJMER

For HAPPY REALEARTH LLP
Authorised Signatory

क्र०सं० 02577 मुद्रांक ५०० दिनांक 13/8/25

क्रेता का नाम हैप्पी रियल अर्थ एल. एल. पी

पिता / पति —

निवासी अजमेर

वास्ते अर्पणापत्र हस्ते देवाशीष

देवाशीष
क्रेता के हस्ताक्षर

अर्चना शर्मा
अर्चना शर्मा
मुद्रांक विक्रेता (ला.नं. 144/2024)
सैशन न्यायालय परिसर, अजमेर

यह कि आरक्षित भूखण्डो को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर आपके कार्यालय द्वारा रिलीज किये जाने की कृपा करे ।

धन्यवाद ।

For HAPPY REALEARTH LLP

Authorised Signatory

भवदीय

हैप्पी रियलअर्थ एल.एल.पी

जरिये अधिकर्त हस्ताक्षरकर्ता रूपचन्द डिया

NOTARY
HARISH DAYMA
AJMER (RAJ.)
R.No. 11993
Valid upto
15-11-2026
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
14/8/25
NOTARY PUBLIC, AJMER

# कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि / कृषि भूमि नियमन / 2025 / 1255

दिनांकः 07/08/2025

## –:: कार्यवाही विवरण ::–

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 17.07.2025 के बिन्दू संख्या 2.4 अनुसार नगर परिषद स्तर पर ले–आउट अनुमोदन हेतु गठित समिति की बैठक परिषद पत्रांक 1129 दिनांक 01.08.2025 को दिनांक 06.08.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजें आहुत की गयी निर्धारित समय पर निम्न सदस्यगण उपस्थित हुयें :–

1. श्रीमान् दिनेश सिंह राठौड नगर परिषद किशनगढ (अध्यक्ष)
2. श्री सुनील खज्जा सहायक नगर नियोजक नगर परिषद किशनगढ़ (सदस्य सचिव)
3. श्रीमती सीता वर्मा आयुक्त नगर परिषद किशनगढ जिला (सदस्य)
4. श्री संदीप यादव अधिशाषी अभियन्ता नगर परिषद किशनगढ (सदस्य)

कौरम पूर्ति पश्चात् समिति अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार परिषद को प्राप्त कृषि भूमि नियमन के आवेदनों को समिति के समक्ष विचारार्थ रख कर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

**बिन्दू संख्या 01 :–** आवेदक श्री कानाराम पुत्र श्रीकज्जा, श्री हरिराम पुत्र कज्जा द्वारा राजस्व ग्राम जाटली के खसरा संख्या 1018 का क्षेत्रफल 3340 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार अजमेंर के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 22.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी राय अनुसार टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार सेटबैक एवं पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश / परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 02 :–** आवेदक श्री केलम पुत्र जयराम, श्री कोयली पत्नि श्री कज्जा, श्री जतन पुत्र श्री जयराम, श्री नन्दु पुत्री श्री कज्जा,व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम जाटली के खसरा संख्या 1017 व 1018 का क्षेत्रफल 19460 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार अजमेंर के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 22.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरों से मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी राय अनुसार टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार सेटबैक एवं पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश / परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 03 :–** आवेदक श्री सुरेश पुत्र श्री हरिश चौहान द्वारा राजस्व ग्राम नयागांव के खसरा संख्या 44 का क्षेत्रफल 1.1731 हैक्टेयर यानि 11731.00 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा

प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी राय अनुसार टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार सेटबैक एवं पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 04 :–** आवेदक श्री रामनिवास चौधरी पुत्र श्री बोपाराम, श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि श्री रामनिवास द्वारा राजस्व ग्राम सांवतसर के खसरा संख्या 985/280 का क्षेत्रफल 1758.00 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में आवेदक द्वारा पूर्व मे आवेदित खसरें में 1000.00 वर्गगज का पट्टा प्राप्त किया था। उक्त पट्टें का समर्पित करतें हुयें नवीन पट्टा 1712.73 वर्गमीटर का पट्टा प्राप्त करना चाहा है। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरें का मास्टर प्लान 2031 में औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है। अतः आवेदित खसरें के सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखा जाना सुनिश्चित करनें हेतु, सडक से मध्य से 09 मीटर (30 फीट) की दूरी सुनिश्चित करतें हुयें सडक मार्गाधिकार में आनें वाली भूमि का निःशुल्क समर्पण करातें हुयें, रीको के भवन विनिमय के अनुसार सेटबैक/पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित भूमि का एकल भूखण्ड का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 05 :–** आवेदक मैसर्स हैप्पी रियल स्कवायर एल.एल.पी अधिकृत श्री रूपचन्द पुत्र श्री शिवरा जडिया द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया के आवेदित खसरा संख्या 224/160 व 722/404 का क्षेत्रफल 19575.75 वर्गमीटर भूमि (परिषद के नाम भूमि समर्पण के उपरान्त नवीन खसरा संख्या 722/404 एवं 731/224 क्षेत्रफल 19575.75 वर्गमीटर) के आवसीय प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरों का मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक द्वारा प्राप्त तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित योजना के आवेदित खसरें मास्टर प्लान अनुसार आवासीय भू उपयोग हेतु आरक्षित है एवं प्रस्तावित योजना टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार सेटबैक एवं पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुये की तकनीकी राय प्राप्त हुयी है। उक्त प्रकरण में आपत्ति बैठक में प्राप्त हुयी जिसके अनुसार उक्त योजना में एनएच की भूमि को शामिल करनें तथा

हाई टेशन लाईन होने तथा योजना के टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार नहीं होने के बाबत् प्राप्त हुयी, जिसके कम में पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित योजना में नेशनल हाईव की भूमि शामिल नहीं है एवं उक्त योजना का प्रस्तावित ले – आउट राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार ही है। आवेदित कम्पनी द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर कम्पनी का नाम हैप्पी रियल स्कवायर एलएलपी के स्थान पर हैप्पी रियल अर्थ एलएलपी परिवर्तन करनें का निवेदन किया गया है, सलग्न दस्तावेजों की जांच उपरान्त आवेदित कम्पनी का नाम परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। जिसका समिति सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया बाद विचार विमर्श अनुसार प्रकरण को प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 06 :–** आवेदक मैसर्स हैप्पी रियल स्कवायर एल.एल.पी अधिकृत श्री रूपचन्द पुत्र श्री शिवरा जडिया द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 224/160 का क्षेत्रफल 19499.00 वर्गमीटर भूमि (परिषद के नाम भूमि समर्पण के उपरान्त नवीन खसरा संख्या 730/224 क्षेत्रफल 19499.25 वर्गमीटर) के आवसीय प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरों का मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक द्वारा प्राप्त तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित योजना के आवेदित खसरें मास्टर प्लान अनुसार आवासीय भू उपयोग हेतु आरक्षित है एवं प्रस्तावित योजना टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार सेटबैक एवं पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुये की तकनीकी राय प्राप्त हुयी है। उक्त प्रकरण में आपत्ति बैठक में प्राप्त हुयी जिसके अनुसार उक्त योजना में एनएच की भूमि को शामिल करनें तथा हाई टेशन लाईन होने तथा योजना के टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार नहीं होने के बाबत् प्राप्त हुयी, जिसके कम में पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित योजना में नेशनल हाईव की भूमि शामिल नहीं है एवं उक्त योजना का प्रस्तावित ले – आउट राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार ही है। आवेदित कम्पनी द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर कम्पनी का नाम हैप्पी रियल स्कवायर एलएलपी के स्थान पर हैप्पी रियल अर्थ एलएलपी परिवर्तन करनें का निवेदन किया गया है, सलग्न दस्तावेजों की जांच उपरान्त आवेदित कम्पनी का नाम परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। जिसका समिति सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया बाद विचार विमर्श अनुसार प्रकरण को प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 07 :–** आवेदक श्री जगदीश प्रसाद चौहान पुत्र श्री बींजालाल ,श्री दुर्गा वर्मा पत्नि श्री मदनलाल, श्री परीक्षा पुत्री श्री मदनलाल व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम नयागांव के

खसरा संख्या 08 क्षेत्रफल 3236.00 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमन हेतु आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदिक भूमि मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है। प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 के अनुसार निर्धारित सेटबैक की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 08 :–** आवेदक श्रीमती चांद कंवर बंग पत्नी श्री रामवल्लभ बंग द्वारा राजस्व ग्राम सावतसर के खसरा संख्या 283/1 क्षेत्रफल 971 वर्गमीटर व खसरा संख्या 283/7 क्षेत्रफल 6796.00 वर्गमीटर में से 354 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 1325.00 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण में परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं तथा आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी मे नहीं है। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरे मास्टर प्लान व जोनल प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्शित है तथा 30 मीटर सडक मार्गाधिकार पर स्थित है। अतः आवेदित भूमि का सडक सेन्टर से 15 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु सुनिश्चित करतें हुयें आवेदक से भूमि निःशुल्क समर्पित करवातें हुयें, रीको के भवन विनिमय के अनुसार सेटबैक व अन्य पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित भूमि का एकल पट्टा विलेख हेतु ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 09 :–** आवेदक श्रीमती इन्द्रा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 1597/1315 क्षेत्रफल 19882 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। प्रकरण के सम्बन्ध समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के **क्रम में आवेदित भूमि पर जल भराव के सम्बन्ध में सिंचाई/जल संसाधन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर जल भराव क्षेत्र घोषित नहीं होने** की स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं भवन विनियम 2025 की पालना सुनिश्चित करतें हुय प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 10 :–** आवेदक श्री अक्षय तापडिया पुत्र श्री कैलाश चंद व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 150, 154 क्षेत्रफल 19425.00 वर्गमीटर भूमि के

Scanned with OKEN Scanner

आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी, प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित टाउनशिप योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 11 :–** आवेदक विनय रीना इन्टरप्राजेज जरिये श्री विनय गंगवाल व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम कालीडूगरी के खसरा संख्या 227/14 क्षेत्रफल 3097.6 वर्गगज भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 25.03.2021 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमिं मास्टर प्लान व जोनल प्लान अनुसार हाईवे इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कॉरिडॉर हेतु आरक्षित है। प्रकरण में निर्धारित सडक मार्गाधिकार 60 मीटर व मास्टर प्लान अनुसार 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्‌टी हेतु निर्धारित सीमा की भूमि निःशुल्क समर्पित करातें हुयें रीको के नियमों के अनुसार निर्धारित सेटबैक एवं भवन विनियम 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित भूमि का एकल पट्‌टें हेतु ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 12 :–** आवेदक मैसर्स श्री शान्तिनाथ एन्टरप्राजेज जरिये साझेदार श्री अकित टोग्या व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम कालीडूगरी के खसरा संख्या 230/14 क्षेत्रफल 7362 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 15.12.2023 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है तथा परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा मिलान होता हैं। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान व जोनल प्लान अनुसार हाईवे इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कॉरिडॉर हेतु आरक्षित है। प्रकरण में निर्धारित सडक मार्गाधिकार 60 मीटर एवं मास्टर प्लान अनुसार 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्‌टी एवं भूखण्ड के पीछें जोनल प्लान अनुसार प्रस्तावित 24 मीटर सडक मार्गाधिकार हेतु निर्धारित सीमा की भूमि निःशुल्क समर्पित करातें हुयें रीको के

Scanned with OKEN Scanner

नियमों के अनुसार निर्धारित सेटबैक एवं भवन विनियम 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित भूमि का एकल पट्टें हेतु ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 13 :–** आवेदक श्री रोडू नायक पुत्र श्री नाथूलाल द्वारा राजस्व ग्राम रामनेर की ढाणी के खसरा संख्या 3020, 3021, 2989 व 2996 क्षेत्रफल 16745 वर्गगज भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप 07 व प्रारूप 08 प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेंर द्वारा प्राप्त तकनीकी राय अनुसार प्रस्तावित योजना का संशोधित ले – आउट प्लान पत्रांक 499 दिनांक 04.06.2024 के द्वारा पूर्व में पत्रांक 586 दिनांक 02.09.2021 में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करातें हुयें, सशर्त अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के कम में श्रीमान् सहायक कलक्टर (मू.) अजमेंर के समक्ष दायर मुकदमा नम्बर 2024/179 (95/2024) बउनवान मन्दिर श्री बाके बिहारी बनाम राजस्थान सरकार वगै0 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 में वादी का वाद विधिवत से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज की किया गया है। उक्त आदेश के अपील/नो अपील के अध्यधीन रहतें हुयें, बाद विचार विमर्श प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित टाउनशिप योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 14 :–** आवेदक श्री राजु नायक पुत्र श्री रोडू नायक द्वारा राजस्व ग्राम रामनेर की ढाणी के खसरा संख्या 2984, 2985, व 2991, 2992, 2993, 2994 व 2995 क्षेत्रफल 14941.42 वर्गगज भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ (टाउनशिप योजना) हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप 07 व प्रारूप 08 प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। प्रकरण के सम्बध में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्राप्त तकनीकी राय अनुसार आयोजित योजना का संशोधित ले – आउट प्लान पत्रांक 611 दिनांक 04.06.2024 के द्वारा पूर्व में पत्रांक 586 दिनांक 02.09.2021 में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करातें हुयें, सशर्त अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के कम में श्रीमान् सहायक कलक्टर (मू.) अजमेंर के समक्ष दायर मुकदमा नम्बर 2024/179 (95/2024) बउनवान मन्दिर श्री बाके बिहारी बनाम राजस्थान सरकार वगै0 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 में वादी का वाद विधिवत से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज की किया गया है। उक्त आदेश के अपील/नो अपील के अध्यधीन रहतें हुयें, बाद विचार विमर्श प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित टाउनशिप योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर

Scanned with OKEN Scanner

राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 15 :—** आवेदक श्री राजु नायक पुत्र श्री रोड़ू नायक द्वारा राजस्व ग्राम रामनेर की ढाणी के खसरा संख्या 2980, 2981, 2982 2983 क्षेत्रफल 16854 वर्गगज भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ (टाउनशिप योजना) हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप 07 व प्रारूप 08 प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदित प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। प्रकरण के सम्बध में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्राप्त तकनीकी राय अनुसार आयोजित योजना का संशोधित ले – आउट प्लान पत्रांक 610 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा पूर्व में पत्रांक 587 दिनांक 02.09.2021 में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करातें हुयें, सशर्त अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के कम में श्रीमान् सहायक कलक्टर (मु.) अजमेंर के समक्ष दायर मुकदमा नम्बर 2024/179 (95/2024) बउनवान मन्दिर श्री बाके बिहारी बनाम राजस्थान सरकार वगै0 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 में वादी का वाद विधिवत से बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज की किया गया है। उक्त आदेश के अपील/नो अपील के अध्यधीन रहतें हुयें, बाद विचार विमर्श प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं मॉडल भवन विनिमय 2025 की पालना सुनिश्चित करवातें हुयें प्रस्तावित टाउनशिप योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 16 :—** आवेदक श्री कमला पुत्री श्री भूरा, रामेश्वर पुत्र श्री भूरा व अन्य द्वारा राजस्व ग्राम ढाणी पुरोहितान के खसरा संख्या 595/73,600/72 क्षेत्रफल 2988.00 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति विज्ञप्ति के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा प्राप्त सहमति रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023 के अनुसार आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। आवेदित खसरें के सम्बन्ध में पुनः जांच करतें हुयें आगामी बैठक में रखें जानें का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

**बिन्दू संख्या 17 :—** आवेदक श्री शंकर लाल पुत्र श्री गोगा द्वारा राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा संख्या 615/35 क्षेत्रफल 16585 वर्गमीटर एवं खसरा सख्या 632/36 क्षेत्रफल 14643 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 31228.00 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री आवास योजना 3बी के तहत) हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार किशनगढ के द्वारा खसरा संख्या 615/35 की ही सहमति रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, आवेदित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं है। अन्य खसरा संख्या 632/36 की सहमति रिपोर्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार को पत्र प्रेषित किया जाना है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेंर की तकनीकी राय कमांक 481 दिनांक 01.07.2025 की राय अनुसार समिति द्वारा बाद विचार विमर्श राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करतें हुयें,

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में प्रस्तावित योजना का ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें का निर्णय लिया गया।

**बिन्दू संख्या 18 :–** आवेदक श्री राज कुमार जैन द्वारा राजस्व ग्राम मोहनपुरा के खसरा संख्या 718/227 क्षेत्रफल 0.4205 हैक्टेयर भूमि के ओद्यौगिक प्रयोजनार्थ हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी आपत्ति सूचना के सम्बन्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। प्रकरण के सम्बन्ध में परिषद पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज है तथा आवेदित खसरें का मौके पर मिलान होता है तथा आवेदित खसरें की भूमि क्षेत्रफल 205.00 वर्गमीटर में से एचटी लाईन गुजर रही है। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक नगर परिषद किशनगढ की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थित है एवं मौके पर 60 फीट मार्गाधिकार रखें जानें हेतु सडक सेन्टर से 30 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करवाते हुयें, एचटी लाईन से सुरक्षात्मक दूरी रखा जाना सुनिश्चित करतें हुये अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में औद्योगिक योजना मे अनुज्ञेय कार्य हेतु एवं रीको के नियमो के अनुसार पैरा मीटर रखा जाना सुनिशिचित करतें हुयें प्रस्तावित भूमि का एकल पट्टें हेतु ले – आउट प्लान सर्व सम्मति से स्वीकृत किये जानें एंव समय – समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश/परिपत्र के अनुसार कार्यावाही की जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अतिरिक्त नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2025 अनुसार भूखण्डों के उपविभाजन व एकीकरण के निम्न प्रकरणों को समिति के समक्ष विचारार्थ व निर्णयार्थ रखा गया :–

**बिन्दू संख्या 01 :–** आवेदिका श्रीमती आशिमा मित्तल पत्नि श्री मनीष मित्तल के द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 545/1 के भूखण्ड का क्षेत्रफल 2258.67 वर्गगज वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा विलेख परिषद द्वारा क्रमांक 1106 दिनांक 19.09.2023 से जारी किया गया। उक्त एकल भूखण्ड के उप विभाजन हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में जारी आपत्ति सूचना पर कोई आपत्ति परिषद को प्राप्त नहीं हुयी है। प्रकरण में सहायक नगर नियोजक की प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट अनुसार उप विभाजन हेतु मूल भूखण्ड के निर्धारित सेटबैक रखा जाना सुनिश्चित करतें हुयें उप विभाजन किया जा सकता है। बाद विचार राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं प्राप्त तकनीकी राय अनुसार मूल भूखण्ड के निर्धारित सेटबैक की पालना सुनिश्चित करातें हुयें, उप विभाजन हेतु प्रस्तावित मानचित्र का अनुमोदन किया जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

**बिन्दू संख्या 02 :–** समिति अध्यक्ष की अनुमति पश्चात् आवेदक श्री धर्मेन्द्र जाट व अन्य के द्वारा खसरा संख्या 84, 85 व 86 राजस्व ग्राम मदनगंज में स्थित पुर्नगठित/उप विभाजित भूखण्ड संख्या 44, 45ए, 45बी, 45सी, 45डी (पार्ट बी) एवं भूखण्ड संख्या बी 01, बी 02 (पुराना भूखण्ड संख्या 73, 74) जिनका कुल क्षेत्रफल 1138.74 वर्गगज है। उक्त भूखण्डों के एकीकरण हेतु प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में परिषद के सहायक नगर नियोजक से प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट भवन विनिमय 2025 के अनुसार निर्धारित

Scanned with OKEN Scanner

सेटबैक की पालना सुनिश्चित करातें हुयें, आवेदित एकीकरण मानचित्र का अनुमोदन किये जानें का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

तत् पश्चात् समिति अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(सुनील खज्जा)
सहायक नगर नियोजक
सदस्य सचिव
नगर परिषद किशनगढ
दिनाकं: 07/08/2025

क्रमांक : न.प.कि / कृषि भूमि नियमन / 2025 / 1256-1258

**प्रतिलिपि**

1. श्रीमान् सभापति महोदय नगर परिषद किशनगढ
2. श्रीमान् आयुक्त महोदय नगर परिषद किशनगढ
3. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता महोदय नगर परिषद किशनगढ

(सुनील खज्जा)
सहायक नगर नियोजक
सदस्य सचिव
नगर परिषद किशनगढ

Scanned with OKEN Scanner